संख्या-223/2021/936रासनि/23-1-21-60रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 12 अक्टूबर, 2021**

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 15 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-4050सी/191सी/5054-मांग/2021-22(भाग-1) दिनांक 22.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरणानुसार **विभिन्न जनपदों के 15 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि** के सापेक्ष कुल रू0 6,70,01,000/- (रूपये छः करोड़ सत्तर लाख एक हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय । कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(3) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(5) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(7) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-0024-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-223/2021/936रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0-223/2021/936रासनि/23-1-21-60रासनि/20, दिनांक 12.10.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	मार्ग यूनिक कोड	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	81919	Kausambi	रसूलपुर ब्यूर पिपरहाई मार्ग से मुनरीपुर सेवढ़ा सम्पर्क मार्ग।	55 /2021/206 रासनि/23–1–21–58 रासनि/20 दिनांक 18.02.2021	122.36	12.24	0.00	110.12	61.18
2	81803	Kausambi	अमिरसा कुण्डारी सम्पर्क मार्ग से अमिरसा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	51 /2021/170 रासनि/23–1–21–63 रासनि/20 दिनांक 09.02.2021	27.85	5.57	0.00	22.28	13.93
3	81785	Prayagraj	गन्ने नहर से बासी सम्पर्क मार्ग।	51 /2021/170 रासनि/23–1–21–63 रासनि/20 दिनांक 09.02.2021	108.97	21.79	1.00	86.18	64.59
4	83380	Prayagraj	प्रतापुर मठोई जीवन दीप हॉस्पिटल से लाहौरा सम्पर्क मार्ग।	67 /2021/323 रासनि/23–1–21–84 रासनि/20 दिनांक 04.03.2021	111.65	16.75	2.00	92.90	55.83
5	83383	Prayagraj	अनुआ प्राथमिक विद्यालय से चनेथू सम्पर्क मार्ग	67 /2021/323 रासनि/23–1–21–84 रासनि/20 दिनांक 04.03.2021	55.48	8.32	1.00	46.16	27.74
6	84025	Prayagraj	मोतिहा लवकुश तिराहा से भारतीया बस्ती सम्पर्क मार्ग।	88 /2021/421 रासनि/23–1–21–84 रासनि/20 दिनांक 15.03.2021	59.53	5.95	2.00	51.58	29.77
7	84032	Prayagraj	मिर्जापुर बार्डर से (खानपुर डांडी खास) गुप्ता बस्ती तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	88 /2021/421 रासनि/23–1–21–84 रासनि/20 दिनांक 15.03.2021	65.68	6.57	1.50	57.61	32.84
8	84031	Prayagraj	खानपुर डांडी (लोहगजरी) वरूणा पुल तक सम्पर्क मार्ग।	88 /2021/421 रासनि/23–1–21–84 रासनि/20 दिनांक 15.03.2021	56.80	5.68	1.00	50.12	28.40
9	84952	Prayagraj	पिच मार्ग से सेमरी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	99 /2021/530 रासनि/23–1–21–102 रासनि/ 20 दिनांक 22.03. 2021	52.210	2.61	0.00	49.60	26.11
10	84923	Prayagraj	नेवढ़िया सम्पर्क मार्ग से करिया खुर्द होते हुये नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग।	99 /2021/530 रासनि/23–1–21–102 रासनि/ 20 दिनांक 22.03. 2021	222.620	11.13	0.00	211.49	100.00
11	84922	Prayagraj	नौढ़िया उपरहार मेन रोड से दिलीप सिंह के घर तक मार्ग पर निर्माण कार्य।	99 /2021/530 रासनि/23–1–21–102 रासनि/ 20 दिनांक 22.03. 2021	109.960	5.50	0.00	104.46	54.98
12	83386	Prayagraj	देवली से गुलचप्पा सम्पर्क मार्ग।	67 /2021/323 रासनि/23–1–21–84 रासनि/ 20 दिनांक 04.03.	71.02	10.65	0.00	60.37	35.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र. सं.	मार्ग यूनिक कोड	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2021					
13	83379	Prayagraj	आराखुर्द हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	67 /2021/323 रासनि/23–1–21–84 रासनि/ 20 दिनांक 04.03. 2021	82.29	12.34	0.00	69.95	41.15
14	81787	Prayagraj	कमला नहर से सोनबरसा में श्री मान सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग।	51 /2021/170 रासनि/23–1–21–63 रासनि/ 20 दिनांक 09.02. 2021	130.37	26.07	0.00	104.30	65.19
15	84179	Basti	एल0डी0 कि0मी0 123 से अन्त्येष्टि स्थल सम्पर्क मार्ग।	96 /2021/198 रासनि/23–1–21–91 रासनि/ 20 दिनांक 17.03. 2021	34.520	1.73	0.00	32.79	32.79
			योग						**670.01**

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।